



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान

(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)

National Institute of Fashion Technology

(Ministry of Textile, Govt. of India)



**विषय: निफ्ट कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के साथ-साथ छात्रों को प्रचलित सीजीएचएस दरों पर कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से आईपीडी / ओपीडी उपचार और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों / नर्सिंग होम / डायग्नोस्टिक सेंटर और अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के पैनल के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करना - तत्संबंधी।**

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना 1986 में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसे 2006 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा एक सांविधिक संस्थान बनाया गया था, जिसके 'विजिटर' भारत के राष्ट्रपति होते हैं। निफ्ट के 19 पेशेवर रूप से प्रबंधित पूर्ण-विकसित परिसर हैं और निफ्ट भोपाल में वर्तमान में लगभग 800 छात्र हैं। निफ्ट, भोपाल अपने कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के साथ-साथ छात्रों को सीजीएचएस/एम्स के पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से और सीजीएचएस दरों पर ओपीडी/आईपीडी उपचार और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाओं के लिए अस्पतालों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की जाती है:

1. निफ्ट कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के साथ-साथ छात्रों को प्रचलित सीजीएचएस दरों पर कैशलेस स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से आईपीडी/ओपीडी सेवाएं, आपातकालीन दुर्घटना सेवाएं प्रदान करना।
2. ईओआई प्रयोगशाला, यूएसजी/सीटी/एमआरआई/पीईटी स्कैन सहित सभी जांचों के लिए है, जिसमें कोविड-परीक्षण और पैथोलॉजी आदि सहित अन्य सभी परीक्षण शामिल हैं, यदि अस्पतालों में उपलब्ध हों।
3. प्रचलित सीजीएचएस दरों पर बिना किसी इनकार के प्राथमिकता के आधार पर आईपीडी/ओपीडी के साथ-साथ एम्बुलेंस सुविधा प्रदान करना।
4. सीजीएचएस दर सूची के अंतर्गत शामिल नहीं होने वाली वस्तुओं/प्रक्रियाओं/जांचों के लिए, अस्पताल को प्रचलित अस्पताल दरों पर विशेष छूट प्रदान करनी चाहिए।
5. निफ्ट रोगियों के लिए प्रतीक्षा समय शून्य/न्यूनतम सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल में एक नोडल अधिकारी/कर्मचारी (अस्पताल में) प्रदान किया जाएगा, जिनसे निफ्ट कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्य और साथ ही छात्र चिकित्सा सहायता/डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए सीधे संपर्क कर सकते हैं।
6. इस बात पर बल दिया जाता है कि आईपीडी बिस्तरों को बिना किसी इनकार के, प्रचलित सीजीएचएस दरों पर प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

इच्छुक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पॉलीक्लिनिक्स, परीक्षण प्रयोगशालाएं, डायग्नोस्टिक स्कैन, इमेजिंग सेंटर आदि एनआईएफटी वेबसाइट पर अपलोड किए गए निर्धारित प्रारूप में अपना ईओआई "अस्पताल पैनल के लिए ईओआई - अनुलग्नक-ए" के रूप में सहायक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ निम्नलिखित को प्रस्तुत कर सकते हैं:

The,  
Senior Assistant Director,  
National Institute of Fashion Technology,  
Bhopal Bypass Road, Bhauri, Near IISER College,  
Bhopal - 462030  
E mail: [srad.bhopal@nift.ac.in](mailto:srad.bhopal@nift.ac.in)  
Office Ph:

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल बाईपास रोड, भौरी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462066 मध्य प्रदेश

National Institute of Fashion Technology, Bhopal Bypass Road, Bhauri, Madhya Pradesh 462066

Tel. (दूरभाष)-0755 :2493636/3736/3667/3385 Website: [www.nift.ac.in/bhopal](http://www.nift.ac.in/bhopal)



राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान  
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)  
National Institute of Fashion Technology  
(Ministry of Textile, Govt. of India)



**Sub: Inviting Expression of Interest (EOI) for empanelment of Medical Colleges and Hospitals/ Nursing Homes/Diagnostic Centres and other Healthcare Service providers for providing IPD / OPD treatment and health care facilities to NIFT employees and their dependent family members as well as students through cashless health card at prevalent CGHS rates – reg.**

The National Institute of Fashion Technology (NIFT), set up in 1986 by the Ministry of Textiles, Government of India. It was made a Statutory Institute in 2006 by an Act of the Indian Parliament with the President of India as 'Visitor'. NIFT has 19 professionally managed full-fledged campuses and NIFT Bhopal has presently around 800 students.

NIFT, Bhopal is planning to provide OPD/IPD treatment and health care facilities to the employees and their dependent family members as well as students through CGHS / AIIMS empanelled hospitals and at CGHS Rates. Expression of Interest (EOI) is invited from hospitals for following medical facilities:

1. To provide IPD/OPD services, emergency casualty to the NIFT employees and their dependent family members as well as students through cashless health card at prevalent CGHS rates.
2. EOI is for all investigations including laboratory, USG/CT/MRI/PET scan including Covid-tests and all other tests including pathology etc., if available with hospitals.
3. To provide IPD/ OPD as well as ambulance facility on priority without denial, at prevalent CGHS rates.
4. For items/procedures/investigations not covered under CGHS rate list, the hospital should offer special discounts on prevalent hospital rates.
5. To ensure no/minimum waiting time for NIFT patients, a nodal officer/ staff at hospital shall be provided (at hospital) to whom NIFT employees and their dependent family members as well as students can directly contact to book for medical attention/ doctor's appointment.
6. It is emphasised that IPD beds should be proved on priority without denial, at prevalent CGHS rates

Desirous Medical colleges and Hospitals, Nursing homes, Clinics, Polyclinics, Testing Labs, Diagnostic Scan, Imaging Centre etc. may submit their EOI in the prescribed format uploaded in NIFT Website as “**EOI for Hospital Empanelment - Annexure-A**” along with copies of supporting documents to the following:

The,  
Senior Assistant Director,  
National Institute of Fashion Technology,  
Bhopal Bypass Road, Bhauri, Near IISER College,  
Bhopal – 462030  
E mail: [srad.bhopal@nift.ac.in](mailto:srad.bhopal@nift.ac.in)  
Office Ph: